छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003
[The Chhattisgarh Rajmarg Act, 2003]

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2003*

[दिनांक 25 मई, 2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 27 मई, 2003 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

राजमार्गों के साथ-साथ फीता विकास (रीबन डेव्हलपमेंट) को रोकने, उन पर अतिक्रमणों को रोकने तथा हटाने; राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव एवं विकास, उन्नतीकरण अधिभार की वसूली एवं कतिपय अन्य विषयों का और जनता के लिये उन शर्तों का प्रावधान करने बाबत् जो छत्तीसगढ़, राज्य में राजमार्ग के सभी सड़क परिवहन की सुरक्षा व अधिक से अधिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय एक
(CHAPTER I)
प्रारंभिक
(Preliminary)

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ (Short title extent and commencement).—(क) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 होगा।

(ख) इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(ग) यह उस तारीख से प्रभावशील होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

टिप्पणी

अधिसूचना क्रमांक 4130/3668/04/19/सात दिनांक 16 जुलाई, 2004.— छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्रमांक 12 सन् 2003) की धारा 1 की कण्डिका (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा,

* छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27-5-2003 पृष्ठ 258(8-51) पर प्रकाशित।

छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्रमांक 12 सन् 2003) को दिनांक 15 अगस्त, 2004 को राज्य में प्रवृत्त होने की तिथि नियत करती है।

[छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग 1 दिनांक 30-7-2004 पृष्ठ 2069 पर प्रकाशित।]

2. परिभाषायें (Definitions).—इस अधिनियम में जब तक कि विषय अथवा संदर्भ के विपरीत न हो :—

(क) 'पशु' से अभिप्रेत है पालतू अथवा पाला गया पशु;

(ख) 'भवन' में कोई भी निर्माण, किसी भी पदार्थ का हो और किसी भी रीति से निर्मित किया गया हो (कृषि उद्देश्यों से निर्मित फार्म बिल्डिंग को शामिल करते हुए) शामिल है और नीव, दरवाजे की सीढ़ियाँ, दीवारें (सरहदी दीवालों और तार घेरा को शामिल करते हुए) विज्ञापन और ऐसे ही सामान भी शामिल हैं;

(ग) 'भवन रेखा' का अर्थ किसी राजमार्ग में किसी भी ओर की एक रेखा है अथवा उक्त राजमार्ग अथवा उसके हिस्से के संबंध में एक राजमार्ग का भाग है जो कि धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में नियत किया गया हो;

(घ) 'कलक्टर' से अभिप्रेत है जिले का कलक्टर है और इस अधिनियम के अंतर्गत कलक्टर के कार्यों को संपादित करने के लिये राज्य शासन द्वारा विशेषत: नियुक्त कोई अधिकारी;

(ङ) 'नियंत्रण रेखा' से अभिप्रेत है धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा किसी राजमार्ग अथवा उसके भाग हेतु नियत 'भवन रेखा' से बाहर किसी राजमार्ग अथवा एक राजमार्ग के भाग में किसी भी ओर की एक रेखा है।

(च) 'न्यायालय' से अभिप्रेत है मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान व्यवहार न्यायालय जब तक कोई निशान अथवा खड़ा किया गया, बनाया गया, कि राज्य शासन ने इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के कार्य करने के लिये किसी विशिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर एक विशेष न्यायिक अधिकारी को नियुक्त नहीं कर दिया है;

(छ) 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्रेत है राज्य शासन अथवा किसी राज्य शासन के किसी अधिकारी के स्थानीय प्राधिकारी अथवा एक राजमार्ग के निर्माण अथवा सुधार कार्य को स्वीकृति प्रदान करने के लिये राज्य शासन द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी;

(ज) 'निर्माण करना' का अर्थ किसी भवन के संबंध में अपने व्याकरणीय परिवर्तनों के साथ किसी भवन का ढांचे के स्वरूप में निर्माण करना पुन: निर्माण करना, विस्तार करना अथवा परिवर्तन करना है;

(झ) "खुदाई" किसी भूमि के टुकड़े के संबंध में उन कार्यवाहियों को शामिल नहीं करता है जो कि उस भूमि के टुकड़े की सतह को छेद न करती हो, किन्तु कुओं तथा तलाबों को शामिल करती है;

(ञ) "अतिक्रमण" से अभिप्रेत है किसी राजमार्ग अथवा उसके हिस्से पर काबिज होना और शामिल करता है :—

(एक) किसी भवन अथवा किसी अन्य ढांचे, बाल्कनियों, पोर्चो, छज्जों अथवा राजमार्ग भूमि पर अथवा उस पर लटकता हुआ प्रोजेक्शन, का खड़ा किया जाना है।

(दो) निर्धारित अवधि, यदि कोई हो, के पश्चात् भवन निर्माण सामग्री इकट्ठा करने के लिये अथवा अन्य किसी भी प्रकार की विवरण की वस्तुएं विक्रय हेतु सामग्रियों को प्रदर्शित करने अथवा खम्भों, शामियानों, टैन्टों, पंडालों, और अन्य सामान निर्माण अथवा वाहनों को खड़े करने के लिये अथवा जानवरों को इकट्ठा करने के लिये अथवा अन्य किसी उद्देश्यों के लिये राजमार्ग का आधिपत्य;

(तीन) किसी राजमार्ग भूमि पर किसी भी प्रकार के किनारों के बनाने हेतु अथवा बढ़ाने हेतु की गई खुदाई;

(ट) 'राजमार्ग' का अर्थ किसी मार्ग अथवा पथ जिस पर जनता को रास्ते का अधिकार है अथवा पहुँच की अनुमति प्रदत्त है और जिसे कि धारा 3 के अंतर्गत राजमार्ग घोषित किया गया है उक्त अभिव्यक्ति शामिल करती है—

(एक) कोई भूमि जो उसके साथ राजमार्ग निर्माण के उद्देश्य से अर्जित अथवा सीमांकित की गई हो;

(दो) वे ढलाने, मार्ग की पटरी बॉरोपिट्स पगडंडियां, चालें और किनारे, मुख्य और सरहदी नालियां जो कि पथ के उस मार्ग से जुड़ी हों;

(तीन) सभी पुल, पुलियों रपटों मुख्य मार्ग कैरेजवेज और अन्य ढांचें जो/कि उक्त मार्ग अथवा पथ पर अथवा के दरमयान निर्मित हों, और

(चार) वृक्षों, घेरे, मैदान, सरहद, फर्लांग एवं किलोमीटर के पत्थर, और अन्य राजमार्ग सहायिकाएं एवं पदार्थ और मार्ग अथवा पथ पर इकट्ठा किये गये पदार्थ;

(ठ) ''राजमार्ग प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है तदनुसार नियुक्त प्राधिकारी अथवा जिसे धारा 4 के अंतर्गत उक्त प्राधिकारी के कार्य करने हेतु अभिन्यस्त किया गया हो;

(ड) 'राजमार्ग सरहदें' से अभिप्रेत है राजमार्ग की नियत सरहदें, जो कि धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त राजमार्ग बाबत् जारी अधिसूचना द्वारा किया गया है;

(ढ) अभिव्यक्ति ''भूमि'' ''हितबद्ध पक्षकार'' और ''कार्य करने के लिये स्वत्वाधीन व्यक्ति'' जो कि इस अधिनियम में उपयोग किये गये हैं के वही अर्थ रहेंगे जो कि उन अभिव्यक्तियों के भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में है;

(ण) ''अधिभोगी'' शामिल करता है :—

(एक) ऐसा व्यक्ति जो कि किसी समय में मालिक को किराये का भुगतान कर रहा है अथवा करने के लिये बाध्य है अथवा जिस परिक्षेत्र बाबत् उक्त किराया भुगतान किया जाता है अथवा भुगतान किये जाने योग्य है उसके एक हिस्से का भुगतान करने के लिये बाध्य है;

(दो) एक स्वामी जो उसके परिक्षेत्र में निवास कर रहा हो अथवा अन्यथा उपयोग कर रहा हो;

(तीन) एक किराये से मुक्त किरायेदार;

(चार) किसी परिक्षेत्र में काबिज एक अनुज्ञप्तिधारी; और

(पांच) कोई व्यक्ति जो कि किसी परिक्षेत्र के उपयोग एवं कब्जे के संबंध में स्वामी को क्षतिपूर्ति राशि देने के दायित्वाधीन है;

(त) ''स्वामी'' से अभिप्रेत है :—

(क) जब किसी परिक्षेत्र के संदर्भ में उपयोग किया जावे, वह व्यक्ति जो उक्त परिक्षेत्र का भाड़ा/किराया प्राप्त करता है अथवा वह जो कि यदि किरायेदारी पर उक्त परिक्षेत्र को दिया जावे तो किराया प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा ताकि शामिल करता है :—

(एक) एक अभिकर्ता अथवा न्यासी जो कि किराया प्राप्त करता है, अथवा न्यास में सुपुर्द किया गया है, अथवा धार्मिक अथवा दयार्थ उद्देश्यों हेतु समर्पित किसी परिक्षेत्र से संबद्ध हो;

(दो) एक रिसीवर, सुपुर्ददार अथवा प्रबंधक जो कि सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया हो; और

(तीन) एक बंधक प्राप्तकर्ता जो कि कब्जे में हो;

(ख) जब एक संस्था निगमित निकाय के संदर्भ में उपयोग किया जावें; उक्त संस्था अथवा निगमित निकाय का प्रबंधक;

(थ) ''विहित'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(द) ''लोक-स्थान'' से अभिप्रेत है, मार्ग, गली, रास्ता अथवा अन्य स्थान जो की मेले से जाता हो अथवा न हों, जिस पर कि जनता का पहुँचने का अधिकार प्राप्त है, तथा किसी स्थान अथवा स्टैण्ड को भी शामिल करता है जहाँ यात्री लोक वाहन द्वारा चढ़ाये अथवा उतारे जाते हैं;

(ध) 'लोक-वाहन' से अभिप्रेत है, किसी वाहन से जो कि यात्रियों अथवा सामानों की किराये अथवा ईनाम के लिये ढुलाई के लिये उपयोग की जाती है अथवा उपयोग हेतु अपना ली गई हो;

(न) ''पहुँच के माध्यम'' शामिल करता है किसी भी प्रकार का पहुँच का माध्यम, चाहे व्यक्तिगत हो अथवा सार्वजनिक हो, वाहनों के लिये हो अथवा पैदल यात्रियों के लिये हो और किसी गली को भी शामिल करता है;

(प) ''राजमार्ग के मध्य'' से अभिप्रेत है, राजमार्ग की सरहदों के बीच के आधे रास्ते का बिन्दु;

(फ) ''भू-मापन'' शामिल करता है सभी प्रकार की कार्यवाहियां जो कि ज्ञात करने, मापने और किसी सरहद अथवा सरहदों अथवा

सरहद के किसी हिस्से का अभिलेख बनाने बाबत् घटनानुक्रम में हैं;

(ब) ''भू-मापन निशान'' से अभिप्रेत है, किसी बिन्दु अथवा बिन्दुओं के स्तर अथवा स्थिति को दर्शाने अथवा निश्चित करने अथवा निश्चित करने में मदद करने में किसी भू-मापन अधिकारी द्वारा खड़ा किया गया, बनाया गया, उपयोग किया गया अथवा दर्शित किया गया निशान अथवा वस्तु;

(भ) ''भू-मापन अधिकारी'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अन्तर्गत भू-मापन अधिकारी होने बाबत् नियुक्त कोई व्यक्ति।

अध्याय दो
(CHAPTER II)

राजमार्गों की उद्घोषणा, राजमार्ग प्राधिकारी एवं उनकी शक्तियां एवं कार्य
(Declaration of Highways, Highway Authorities and their Powers and Functions)

3. पथ मार्ग एवं भूमियों का राजमार्ग घोषित किया जाना (Declaration of roads, ways of lands as highways).—राज्य शासन, अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी मार्ग, रास्ते अथवा भूमि को राजमार्ग घोषित कर सकती है तथा उसे वर्गीकृत कर सकती है, जैसे—

(एक) अधिव्यक्त राजमार्ग, (एक्सप्रेस हाईवे)

(दो) राज्य राजमार्ग,

(तीन) मुख्य जिलामार्ग

(चार) अन्य जिला मार्ग

(पांच) ग्रामीण सड़क

4. राजमार्ग प्राधिकारियों की नियुक्ति (Appointment of Highway Authorities).— राज्यशासन, अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य के लिये राज्य शासन के किसी अधिकारी अथवा किसी प्राधिकारी को राजमार्ग प्राधिकारी राज्य अथवा राज्य के किसी हिस्से में सभी राजमार्गों बाबत् अथवा राज्य में किसी अन्य विशेष राजमार्ग अथवा राजमार्गों बाबत् अधिसूचना में दर्शित अनुसार, नियुक्त कर सकेगी।

5. राजमार्ग प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य (Powers and duties of Highway Authorities).—राजमार्ग प्राधिकारी को नियुक्त करने वाली अधिसूचना में दर्शित उन शर्तों के अधीन रहते हुए तथा राज्य शासन सामान्य

अथवा विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, एक राजमार्ग प्राधिकारी इस अधिनियम में दर्शित प्रावधानों के अनुसार, राजमार्ग के साथ फीता विकास की रोकथाम बाबत् और अतिक्रमणों को हटने बाबत् और उपरोक्त विषयों में किन्हीं अथवा सभी के तारतम्य में आवश्यक सभी विषयवस्तु बाबत्, शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। साथ ही राज्य शासन से स्वीकृति तथा उन सामान्य अथवा विशेष आदेशों, जो कि राज्य शासन इस बाबत् कर सकती है, के अधीन रहते हुए, राजमार्ग अधिकारी के लिये राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव, विकास और उन्नति का कार्य हस्तगत करना वैधानिक होगा।

अध्याय तीन
(CHAPTER III)

राजमार्गों का विकास एवं रख-रखाव
(Development and Maintenance of Highways)

6. राजमार्ग योजना से संबंधित खोजबीन (सर्वे) एवं प्रारंभिक भू-मापन हेतु भूमि में प्रवेश करने की शक्तियाँ (Power to enter land for reconnaissance and preliminary survey in connection with highway scheme).—(1) राजमार्ग प्राधिकारी अथवा कोई अधिकारी जो कि लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री से निम्न श्रेणी का न हो अथवा राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा इस बाबत् अधिकृत किया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रावधानों का पालन करने के आशय से :—

(क) किसी भूमि पर अपने कर्मचारियों के साथ प्रवेश कर सकता है और नापजोख कर सकता है और उस पर समतल कर सकता है;

(ख) ऐसे समतलों को, गड्ढों अथवा नलकूपों को जो अधस्तल में हो को चिन्हित कर सकता है तथा यह ज्ञात करने के लिये कि भूमि उपयुक्त है अथवा नहीं सभी अन्य आवश्यक कार्य कर सकता है;

(ग) प्रस्तावित राजमार्ग की सीमा चिन्हें, निशान रखकर अथवा गहरे निशान खोदकर तैयार कर सकता है;

(घ) खड़ी फसल के किसी भाग को काटकर, सफाई करवा सकता है बाड़ लगा सकता है जहाँ कि अन्यथा भू-मापन पूर्ण नहीं किया जा सकता हो और समतल प्राप्त किये जा चुके हैं और सीमा चिन्ह लगाये जा चुके हैं, और

(ङ) इस बाबत् आवश्यक सभी कार्य कर सकता है। परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति, किसी भवन अथवा एक निवास योग्य मकान से लगे बगीचे के खुले घिरे क्षेत्र में आधिपत्यधारी की सहमति के बिना अथवा ऐसे आधिपत्यधारी को अपने उक्त अनुसार करने के इरादे की कम से कम पन्द्रह दिनों की सूचना दिये बिना, प्रवेश नहीं करेगा अथवा खड़ी फसल के किसी हिस्से को नहीं काटेगा, और साफ करेगा न ही बाड़ लगायेगा अथवा अन्य कार्य कर सकेगा।

(2) राजमार्ग प्राधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी, उपरोक्त प्रवेश के समय, उपरोक्त कहे अनुसार होने वाली सभी आवश्यक क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करेगा अथवा भुगतान प्रस्तावित करेगा, तथा भुगतान की गई अथवा भुगतान प्रस्तावित की गई राशि की पर्याप्तता के संबंध में विवाद होने की दशा में, वह सात दिनों की अवधि के भीतर, उक्त विवाद एवं प्रस्तावित राशि जो यदि स्वीकार नहीं की गई को उक्त जिले के कलक्टर को रिफर/सम्प्रेषित करेगा और जिसका निर्णय अंतिम होगा।

7. राजमार्ग हेतु विकास योजनाओं को तैयार करना (Preparation of scheme for highway development).—(1) राजमार्ग प्राधिकारी स्वयं के विवेकानुसार अथवा यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्त रूप से निवेदन किया गया हो तो इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीनस्थ रहते हुए तथा राज्य शासन द्वारा इस उद्देश्य हेतु रचित उन नियमों के अधीन रहते हुए एक नये राजमार्ग के निर्माण अथवा एक पूर्व से अस्तित्व युक्त राजमार्ग के विकास अथवा सुधार कार्यों की विस्तृत योजना बनाकर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

(2) उक्त योजना प्रावधान कर सकती है :—

(क) किसी भूमि का अर्जन, जो कि राजमार्ग प्राधिकारी के अभिमत में उसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समझा गया है;

(ख) सीमांकन तथा विभिन्न उद्देश्यों हेतु अधिग्रहित सभी अथवा किन्हीं भूमियों के ले-आउट्स/निर्माण नक्शों को तैयार किये जाने बाबत्;

(ग) किसी अस्तित्व युक्त राजमार्ग अथवा उसके किसी काट/सेक्शन के भू-परिवर्तन अथवा बंद किये जाने बाबत्;

(घ) सड़क मार्ग के निर्माण अथवा पुनर्निर्माण जिसमें उसका चौड़ीकरण, समतलीकरण, सतहीकरण, पुलों के निर्माण की प्रक्रिया, पानी के निकासी की प्रक्रिया, नालीकरण, जल की

आपूर्ति तथा मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था तथा मार्ग के किनारों पर वृक्षों का रोपाकरण शामिल है, बाबत्

(ङ) फुटपाथों/पदयात्री मार्ग, सायकल रखने की जगहें और किसी भी प्रकार अथवा श्रेणी के वाहनों बाबत् विशेष यातायात कतारों के प्रावधान नक्शे वाहनों के ठहरने के किनारों की रेखाचित्र एवं व्यवस्था करने तथा पेट्रोल भरने एवं सर्विस स्टेशन्स एवं अन्य मार्ग के किनारों की उपयोगी आवश्यकताऐं विज्ञापन खंभों एवं बिल फलकों के स्थानीय व्यवस्था बाबत्, और

(च) राजमार्ग अथवा प्रस्तावित राजमार्ग से उपयुक्त दूरियों पर लगी हुई सम्पत्तियों को जोड़ने वाले पहुँच मार्गों का रेखाचित्र;

(छ) राजमार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण का प्रावधान किया जाये :—

(i) लगाये गये पौधों के रख-रखाव के लिए विभाग/स्थानीय व्यक्तियों/समितियों को दायित्व दिया जाये।

(ii) किसी भी व्यक्ति के द्वारा सड़क सीमा के अन्दर लगाये गये पौधों/वृक्षों को काटना या जड़ से उखाड़ने पर रोक लगाई जाये।

(iii) यदि किसी के द्वारा इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो राज्य शासन द्वारा घोषित सक्षम अधिकारी के द्वारा अर्थदण्ड दिया जा सकता है, जो प्रति वृक्ष के लिए पाँच हजार रुपये तक या कम से कम एक हजार रुपये प्रति वृक्ष होगा। वृक्षों को काटकर ले जाने वाले वाहन को जप्त किया जाकर राजसात किया जा सकता है।

(iv) यदि किसी स्थानीय व्यक्ति अथवा समिति द्वारा वृक्ष लगाया जाता है, एवं उनका रख-रखाव किया जाता है तो उस स्थानीय व्यक्ति/समिति को भोगबंधक का अधिकार होगा।

8. राजमार्ग योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कतिपय करने की शक्तियाँ (Power to do certain acts for execution of highway schemes).—जब सक्षम प्राधिकारी ने धारा 7 के अनुपालन में तैयार किये गये राजमार्ग योजना को स्वीकृति प्रदान कर चुके है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वित्त की

व्यवस्था कर चुके हैं राजमार्ग प्राधिकारी कार्य को जारी करने हेतु आगे बढ़ जावेंगे एवं इस उद्देश्य के लिये :—

(क) सक्षम प्राधिकारी की ओर से वे सभी संविदाओं में प्रवेश लेंगे तथा संपादित करेंगे जैसा कि आवश्यक समझा जावेगा;

(ख) योजना के अंतर्गत वांछित भूमियों के स्वामी अथवा स्वामियों से अनुबंध द्वारा क्रय अथवा सीधे उपहार, अथवा उक्त अनुबंध न होने की दशा में भू-अर्जन अधिनियम 1894, जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ हो के प्रावधानों की सहायता से अधिग्रहण को करने बाबत् व्यवस्थाएं करेंगा;

(ग) किसी अस्तित्वयुक्त राजमार्ग अथवा उसके किसी हिस्से को मोड़ सकता है, दिशा बदल सकता है अथवा बंद कर सकता है; तथा

(घ) बेरियर, परिवर्तित मार्गों अथवा अन्य माध्यमों से किसी राजमार्ग अथवा उसके किसी हिस्से का उपयोग करने वाली वाहनों के प्रकार, संख्या अथवा गति से संबंधित नियमों को जैसा कि इस बाबत् प्रदत्त किया जा सकता है के अधीन रहते हुए उन्हें नियंत्रित करेगा।

9. राजमार्ग रेखा चित्रों का रख रखाव (Maintenance of highway plans).—(1) राजमार्ग प्राधिकारी स्वयं के प्रभार में स्थित राजमार्गों के प्राधिकृत योजनाचित्रों का रख-रखाव करेगा।

(2) उन योजनाचित्रों को किसी राजमार्ग की सीमाओं को मार्ग की चौड़ाईयों के विस्तृत नापजोख, सीमाचिन्हों के मध्य की दूरी तथा स्थिर बिन्दुओं से पर्याप्त मापों को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए ताकि सीमाचिन्हों को स्थान से हटा दिये जाने पर अथवा फेर फार कर दिये जाने पर उनको पुन: स्थिर करने में उपयोगी हो सके।

(3) राजमार्ग अधिकारी के पास वे सभी अधिकृत योजनाचित्र होने चाहिएं जो कि नियत प्रक्रिया अनुसार राजमार्ग तथा उनकी सीमाओं का भू-मापन के पश्चात् तैयार किये गये हैं।

10. पथ की सीमाओं का सीमांकन (Demarcation of road boundaries).—(1) राजमार्ग प्राधिकारी उसके द्वारा रख रखाव किये जा रहे अधिकृत योजनाचित्रों के सन्दर्भ में पत्थरों के रोपण के द्वारा अथवा स्थायी प्रकृति के अन्य उपयुक्त निशानों द्वारा जैसा कि आई.आर.सी.कोड. के अनुसार आर.सी.सी. सीमा के पत्थरों के द्वारा पूरे राजमार्ग के दौरान मध्यांतरों पर इस प्रकार

से कि उन पत्थरों अथवा निशानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा मार्ग की सीमाओं को सही-सही दिखलाती है, स्वयं के प्रभार के राजमार्ग की सीमाओं का सीमांकन करवाएगा।

(2) जहां कहीं भी मार्ग की सीमा में मोड़ अथवा अंधा मोड़ है पत्थरों निशानों को इस तरह से लोकेटेड/स्थापित किया जावेगा कि जिससे सीमा की यदि उन्हें सीधी रेखाओं द्वारा जोड़ दिया जावे तो उन्हें सही व्यवस्थित सीमाचित्र बनता हो।

(3) सीमा के पत्थरों अथवा निशानों को जिन्हें कि क्रमवार अनुक्रमांक प्रदान किया जा सकता है, का रखरखाव इस आधार पर किया जावेगा कि मानो वे राजमार्ग का हिस्सा बनते हैं।

11. पथ की सीमाओं की जाँच (Check of road boundaries).—(1) यह राजमार्ग प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि वे सुनिश्चित करें कि राजमार्ग का कोई भी हिस्सा अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा इस उद्देश्य के लिये, अनाधिकृत अतिक्रमण यदि कोई हो, को इंगित करने के दृष्टिकोण से स्वयं के प्रभार के राजमार्ग के सीमाओं की नियमित जाँच करेंगे।

(2) जब एक कब्जा राजमार्ग पर किया जा चुका है, राजमार्ग प्राधिकारी धारा 33 में दर्शाए अनुसार उसके हटाये जाने के संबंधित त्वरित कार्यवाही करेंगे।

अध्याय चार

(CHAPTER IV)

फीता विकास (रिबन डेवलपमेंट) की रोक

(Restriction of Ribbon Development)

12. राजमार्ग सीमाओं भवन रेखा एवं राजमार्ग की नियंत्रण रेखा को नियत करने की शक्तियाँ (Power to fix highway boundaries. building line and control line of highways).—(1) किसी क्षेत्र में जहां कि इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील कर दिये गये हों तथा—

(क) जहां कोई मार्गपथ अथवा भूमि को इस अधिनियम के अंतर्गत राजमार्ग होना घोषित कर दिया गया हो, अथवा

(ख) जहां एक राजमार्ग का निर्माण अथवा विकास कार्य किया जाना हो,

राज्य शासन, अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन द्वारा, उन राजमार्गों के संबंध में राजमार्ग सीमाएं भवन सीमायें तथा नियंत्रण रेखा, निश्चित करेगी :

परन्तु यह भी कि एक राजमार्ग की आवश्यकता जैसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा स्थानीय क्षेत्र जिसमें से राजमार्ग जाती है, राज्य शासन के लिये, किसी राजमार्ग अथवा उसके मार्गों के संबंध में यह वैधानिक होगा :—

(एक) कि वे विभिन्न भवन रेखा अथवा नियन्त्रण रेखा को स्थिर करे, अथवा

(दो) के वे भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा को स्थिर न करे।

(2) राज्य शासन, उपधारा (1) के आधीन अधिसूचना जारी करने के कम से कम साठ दिनों के पूर्व की अवधि में, अधिकृत राजपत्र में तथा ग्राम में निर्धारित पद्धति से एवं तहसील तथा जिला के मुख्यालयों में जहां की राजमार्ग स्थित है, अधिसूचना प्रकाशित करवायेगी जो निम्नलिखित दर्शित करेगी:—

(अ) उपधारा (1) के आधीन अधिसूचना जारी करने का आशय,

(ब) राजमार्ग सीमा एवं भवन सीमा के तथा भवन सीमा एवं नियंत्रण रेखा तथा प्रस्तावित नियंत्रण रेखा के बीच स्थित भूमि के विवरण,

(स) सुझाव एवं आपत्तियों का, राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष, राजपत्र में उक्त अधिसूचना प्रकाशन के एक माह के भीतर अथवा ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन के पंद्रह दिनों के भीतर जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है लिखित में आमंत्रण।

(3) राजमार्ग प्राधिकारी, इसके पश्चात् कि उक्त समस्त आपत्तियों अथवा सलाहों सुनी अथवा विचार की जा चुकी हैं, जैसी की स्थिति हो, तथा ऐसी आगामी जांच, यदि कोई, जैसा कि वे उचित समझे, राज्य शासन को इसके समक्ष हुई कार्यवाहियों की एक प्रति, आपत्तियों अथवा सलाहों पर स्वयं के अभिमत को दर्शाता हुआ प्रतिवेदन के साथ, प्रतिप्रेषित करेंगे।

(4) यदि, उप-धारा (2) के द्वारा आपत्तियों एवं सलाहों को प्रस्तुत करने अथवा सुनवाई करने हेतु स्वीकृत की गयी समयावधि के समाप्त होने के पूर्व, कोई भी आपत्तियां या सलाह प्रस्तुत नहीं की गयी है, राज्य शासन तत्काल उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के लिये आगे बढ़ जावेगी। यदि कोई आपत्ति अथवा सलाह की गयी है राज्य शासन, अभिलेख एवं प्रतिवेदन तथा उपधारा (3) में संदर्भित प्रतिवेदन, पर विचार करेगी तथा या तो :—

(क) उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को त्याग सकती है, अथवा

(ख) उन परिवर्तनों के साथ, यदि कोई हो, जैसा कि वह उचित समझे, उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर सकती है।

(5) आपत्तियां अथवा सलाहों को विचार करने में, उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की जाने के प्रश्न पर, राज्य शासन का निर्णय अन्तिम और निर्णायक होगा।

13. मानचित्र बनाना तथा रखरखाव किया जाना (Map to be prepared and maintained).—किसी राजमार्ग के संबंध में राजमार्ग की सीमा, भवन-रेखा तथा नियंत्रण रेखा नियत करती हुई धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशन के दो माह के भीतर, संबंधित प्राधिकारी राजमार्ग की सीध रेखा, राजमार्ग की सीमाओं, भवन तथा नियंत्रण रेखा तथा अधिनियम के उद्देश्य से आवश्यक अन्य विवरण दर्शाता हुआ एक नक्शा बनवायेगा तथा उस पर किसी परिवर्तन अथवा योग/संशोधन की तिथि से एक माह के भीतर उक्त नक्शे को सुधार करवायेंगे, साथ ही उस पर तिथि भी दर्शायेंगे कि अंतिम बार कब उसमें संशोधन किया जा सकेगा, राजमार्ग प्राधिकारी के कार्यालय में रखा जावेगा। उक्त नक्शा जिसमें कि राजमार्ग प्राधिकारी की मुहर रहेगी, अवलोकनार्थ खुला रहेगा। उक्त नक्शे की प्रतियां किसी भी व्यक्ति को निर्धारित शुल्क जमा करने पर उपलब्ध करायी जावेंगी।

14. राजमार्ग सीमा एवं भवन रेखा के मध्य तथा भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा के मध्य भवनों पर रोक (Restrictions on buildings between highway boundary and building line and between building line and control line).—(1) राज्य शासन के किसी सामान्य अथवा विशेष निर्देश के अधीन रहते हुए, कलक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना अकृषि कार्य से कृषि भूमि के भू-परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रुढ़ि, अनुबंध अथवा विलेख के सिवाय, नियत तिथि को अथवा उसके पश्चात् इस अधिनियम के प्रावधानों के आधीन रहते हुए, निम्नलिखित अवरोध प्रभावशील रहेंगे, कहा जावे तो, कोई भी व्यक्ति राजमार्ग प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना :—

(क) राजमार्ग की सीमा तथा भवन रेखा जो कि धारा (2) के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है अथवा धारा 12 की उपधारा के अंतर्गत नियत की गयी है, जैसी भी स्थिति हो—

(एक) राजमार्ग से अथवा राजमार्ग को पहुंचने वाले माध्यमों का निर्माण, प्रारूप अथवा रेखाचित्र बनायेगा, अथवा

(दो) किसी अस्तित्वाधीन भवन को सात्विक रूप से परिवर्तित करेगा, अथवा

(तीन) किसी गड्ढे को बनायेगा अथवा बढ़ायेगा,

(चार) किसी भवन को खड़ा करेगा, अथवा

(पांच) निर्माण, प्रारूप अथवा रेखाचित्र किसी कार्य का करेगा, अथवा;

(ख) किसी भूमि पर जो कि भवन रेखा तथा उपधारा (2) के अंतर्गत नियत करने हेतु प्रस्तावित की गयी है, अथवा धारा 12 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियत की गयी हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो,—

(एक) राजमार्ग से अथवा राजमार्ग को पहुंचने वाले माध्यमों का निर्माण, प्रारूप अथवा रेखा चित्र बनायेगा, अथवा

(दो) किसी भवन को खड़ा करेगा, अथवा

(तीन) किसी अस्तित्वाधीन भवन को सात्विक रूप से परिवर्तित करेगा, अथवा

(चार) किसी गड्ढे को बनायेगा अथवा बढ़ायेगा;

(ग) किसी भवन का उपयोग करेगा अथवा पूर्व से एक पद्धति से खड़े किये गये भवन के उपयोग में परिवर्तन करेगा, जो कि किसी प्रकार से, चाहे जो कोई भी हो, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं अथवा उस भूमि, जिस पर कि भवन खड़ा किया गया है, से जुड़े एक राजमार्ग के उपयोग के साथ दखलंदाजी करते हैं।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो कि उपधारा (1) के आधीन अनुमति प्राप्त करना चाहता हो, राजमार्ग प्राधिकारी को लिखित में उस प्ररूप में आवेदन करेगा तथा ऐसी जानकारियों के साथ करेगा जैसा कि भवन, परिवर्तन, गड्ढा खोदने कार्य अथवा पहुंच के साधन, जैसी की स्थिति हो, जिससे कि आवेदन संबंधित हो।

(4) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, राजमार्ग प्राधिकारी, ऐसी अतिरिक्त जांच करने के बाद जैसा कि वे उचित समझे, लिखित में आदेश द्वारा या तो :—

(क) उन शर्तों के साथ, यदि कोई हो तो, जैसा कि आदेश में स्पष्ट किये गये हों, अनुमति प्रदान करेगा; अथवा

(ख) अनुमति प्रदान करने से इंकार कर देगा—

(एक) उपधारा (1) की कंडिका (क) के अंतर्गत गड्ढा अथवा निर्माण बनाने के अथवा भूमि में कार्यों के रेखाचित्र मरम्मत करने नवीनीकरण, चौड़ीकरण अथवा भूमिगत नाली के रखरखाव, नाले, बिजली की लाइन, पाइप, छोटी नाली के उद्देश्य से अथवा अन्य औजार रीति से तथा उस स्तरों के रखे जावेंगे कि मार्ग के उस पर निर्माण, विकास अथवा रखरखाव नहीं रुकेंगे अथवा दुष्प्रभावित नहीं होंगे;

(दो) उपधारा (1) की कंडिका (क) के अंतर्गत एक भवन खड़ा करने अथवा परिवर्तित करने अथवा किसी गड्ढे को बनाने अथवा विस्तृत करने जो कि लोक स्वास्थ्य हित तथा सुरक्षा के प्रतिस्थापन एवं जुड़ी हुई सड़क पर यातायात की सुविधा के अनुकूल हो, की अनुमति न ही रोकी जावेगी और न ही युक्तियुक्तहीन शर्तों के अधीन की जावेगी;

(तीन) नियत तिथि से पूर्व के अस्तित्वाधीन भवन के पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन की उपधारा (1) की कंडिका (ख) के आधीन अनुमति न ही रोकी जावेगी न ही अवरोधों के अधीन की जावेगी जब तक कि उक्त पुनःनिर्माण अथवा परिवर्तन, भवन के बाह्य स्वरूप में कोई तात्विक परिवर्तन न करना हो।

(5) जब राजमार्ग प्राधिकारी, अनुमति से अस्वीकार करता है, उसके कारण लिखे जाने चाहिये तथा आवेदक को सूचित किये जाने चाहिये, परन्तु यह कि उसमें अन्तर्निहित कुछ भी, किसी व्यक्ति को उसमें से आपत्तिजनक आकृतियों को जो कि उसे सूचित किये गये हैं जिसके कारण कि उपरोक्तानुसार अनुमति अस्वीकार की गई है, को हटाकर नवीन आवेदन प्रस्तुत करने से बाधित नहीं करेगा।

(6) जब कभी उपधारा (5) के अधीन एक आवेदन राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया है, यह राजमार्ग प्राधिकारी के दायित्वाधीन होगा कि वे उसे तीन माह की समयावधि के भीतर निराकृत करें।

(7) राजमार्ग प्राधिकारी इस धारा के अधीन स्वीकृत एवं अस्वीकृत अनुमतियों के पर्याप्त विवरणों के साथ एक पंजी व्यवस्थित करेगा तथा उक्त पंजी

सभी हितबद्ध व्यक्तियों के अवलोकनार्थ निःशुल्क उपलब्ध रहेगा तथा वे व्यक्ति उससे प्रतिलिपि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

स्पष्टीकरण (Explanation).—इस धारा के उद्देश्य के लिये नियत तिथि राजमार्ग सीमा रेखा अथवा नियंत्रण रेखा के संदर्भ में, का अर्थ—

(एक) वह तिथि जिस दिन धारा 12 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना उक्त राजमार्ग सीमा, भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा को नियत करने हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई है;

(दो) यदि उक्त राजमार्ग सीमा, भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा में किसी प्रकार का संपरिवर्तन किया गया है तो वह तिथि जिस दिन धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन, राजमार्ग सीमा, भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा को नियत करने की अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

15. अपील (Appeal).—(1) यदि आवेदक धारा 14 के अंतर्गत राजमार्ग प्राधिकारी के किसी अनुमति रोके जाने अथवा किसी शर्त के आरोपण के निर्णय से क्षुब्ध है तो वह राज्य शासन अथवा किसी प्राधिकारी जिस बाबत् अधिसूचना हो के समक्ष उसे उक्त निर्णय की सूचना दिये जाने की तिथि से तीन दिनों के भीतर वह अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(2) वह प्राधिकारी जो अपील सुन रही है, अपीलार्थी को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकती है जो वह उचित समझती हो तथा उक्त प्राधिकारी का वह निर्णय अंतिम होगा। समय का बंधन उक्त प्राधिकारी द्वारा अपील के निराकरण बाबत् कंडिका 15 (1) में प्रदत्त अनुसार क्षुब्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अपील की तिथि से, तीस दिन का होगा।

16. 'कार्य प्रगति पर को छूट' (Exemptions of works in progress).—धारा 14 के अंतर्गत प्रभावशील कोई भी निर्बन्ध किसी नाली, नाले, बिजली की लाइन, पाइप, छोटी नाली अथवा अन्य औजार जो किसी भूमि पर उन निर्बन्धनों के प्रभावशील होने के पूर्व से हैं अथवा उक्त तिथि अथवा उक्त तिथि के पश्चात् राजमार्ग प्राधिकारी की अनुमति से लागू नहीं होंगे।

17. भवनों का भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा पर पीछे स्थापित करना (Setting back of building to building line or control line).—यदि कोई भवन अथवा उसका कोई भाग धारा 14 में संदर्भित नियत तिथि के पूर्व खड़ा कर दिया गया है, भवन रेखा तथा राजमार्ग के मध्य में पड़ता है, तो राजमार्ग प्राधिकारी, जब कभी भी ऐसा कोई भवन अथवा भाग या तो पूर्णतः अथवा

अधिकांश भाग में गिराया जा चुका है, जला कर गिराया जा चुका है अथवा गिर चुका है, सूचना द्वारा उक्त भवन अथवा उसके भाग को, भवन रेखा अथवा नियंत्रण रेखा के पीछे किये जाना वांछित कर सकता है।

18. राजमार्ग पर पहुंचने के अधिकार का परिवर्तन अथवा नियंत्रण (Regulation or diversion of right of access to highway).—(1) राजमार्ग प्राधिकारी, यदि ऐसा यातायात की सुविधा अथवा सुरक्षा के हित में आवश्यक समझा जाता है तो नियंत्रण रेखा तथा राजमार्ग सीमा के मध्य में पड़ने वाली भूमि के दौरान अस्तित्वाधीन पहुंच के किसी अधिकार को नियंत्रित अथवा परिवर्तित करेगा :

परन्तु यह कि कोई अस्तित्वाधीन पहुंच का अधिकार तब तक परिवर्तित नहीं किया जावेगा जब तब कि वैकल्पिक पहुंच मार्ग दिया न जा चुका हो।

(2) जहां कोई अस्तित्वाधीन पहुंच का अधिकार परिवर्तित किया गया है तो वह बिन्दु जहां से वैकल्पिक राजमार्ग को पहुंच मार्ग दिया गया है, युक्ति युक्त विहीन अस्तित्वाधीन पहुंच मार्ग के बिन्दु से दूर नहीं होगा।

(3) राजमार्ग प्राधिकारी अधिकृत राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा वह तिथि प्रकाशित करेगा कि जिस दिन से अस्तित्वाधीन पहुंच के अधिकार को परिवर्तित किया गया हो अथवा परिवर्तित पहुंच मार्ग प्रदान किया गया हो।

19. भू-अर्जन (Acquisition of land).—(1) किसी भी समय, राजमार्ग प्राधिकारी के आवेदन पर राज्य शासन, भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 1894 का सं० 1) जैसा कि समय समय पर संशोधित हो, के प्रावधानों के अनुसार भूमि का अर्जन कर सकता है।

(2) अत्यन्त शीघ्रता की परिस्थिति में, जब कभी भी राज्य शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त भूमि राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा अस्थायी आधिपत्य हेतु वांछित है, वह कलक्टर को आधिपत्य प्राप्त करने तथा राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 1 वर्ष 1894 का) की धारा 35, 36 तथा 37 में निहित प्रावधानों के उपयोग करने निर्देशित कर सकती है।

20. भूमि में अधिकार अथवा हित की समाप्ति किये जाने की सूचना (Notice for extinguishment of right or interest in land).—(1) यदि किसी भी समय, राजमार्ग प्राधिकारी के निवेदन पर राज्य शासन संतुष्ट है कि कोई अधिकार अथवा हित किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर एक राजमार्ग हेतु समाप्त किया जाना है तथा वैसी समाप्ति भू-अर्जन की नहीं कहला सकती है जैसा कि भू-अर्जन अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 1894 का सं० 1) राज्य शासन एक आम सूचना उक्त भूमि पर अथवा समीप में सुविधाजनक स्थान पर, चस्पा

करवा कर, दिलवायेगी अथवा दो दैनिक समाचार पत्रों में जो कि उस क्षेत्र में वितरण रखते हों, जिनमें से एक हिन्दी भाषा का होगा, प्रकाशन द्वारा दिलवायेगी, जिसमें कथन किया जावेगा कि राज्य शासन उक्त भूमि में किसी अधिकार अथवा हित को समाप्त करने का आशय रखती है तथा सभी दावे क्षतिपूर्ति बाबत् जो कि ऐसे अधिकार अथवा हित के समाप्त होने बाबत् हों, कलक्टर के समक्ष किये जा सकते हैं।

(2) उप धारा (1) के अंतर्गत दी जाने वाली सूचना, उक्त भूमि में उक्त अधिकार अथवा हित जो समाप्त किये जाने हैं के विवरण देगी तथा अपेक्षा करेगी कि वे सभी व्यक्ति जो ऐसे अधिकार अथवा हित रखते हों, व्यक्तिगत रूप से अथवा अभिकर्ता के माध्यम से, कलक्टर के समक्ष एक तिथि को, जो कि उक्त सूचना के प्रकाशन के चौदह दिनों के पूर्व की न होगी, उपस्थित हों। उक्त भूमि पर अधिकारों एवं हितों जो कि समाप्त की जाने वाली है की प्रकृति, राशि तथा क्षतिपूर्ति के लिये दावों के विवरण तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, को लिखित में देने अपेक्षा की जा सकती है।

21. क्षतिपूर्ति निर्धारण में विचारयोग्य विषय वस्तुऐं (Matters to be considered in determining compensation).—(1) अधिकार अथवा हित की समाप्ति हेतु क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन करने में, कलक्टर, किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जो क्षति निम्न कारणों से यह न की गयी है :—

(क) धारा 12 के अंतर्गत नियंत्रण रेखा का नियत किया जाना;

(ख) धारा 14 के अंतर्गत निर्बन्धनों का आरोपण;

(ग) धारा 17 के अंतर्गत किसी भवन अथवा उसके भाग का पीछे व्यवस्थित किया जाना;

(घ) धारा 18 के अंतर्गत राजमार्ग में पहुंच के किसी अधिकार का नियंत्रण अथवा परिवर्तन;

को विचार में लेगा।

(2) उपधारा (1) में निहित किसी भी लीज के रहते हुए भी, किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का न ही दावा और न ही अधिनिर्णय किया जा सकेगा यदि उक्त भूमि उक्त समय में प्रभावशील किसी अन्य विधि के अंतर्गत, समान निर्बन्धनों के अधीन है जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित किये जा रहे हों।

(3) भूमि में किसी अधिकार अथवा हित की समाप्ति के लिये किसी व्यक्ति को कोई भी क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णीत नहीं की जा सकेगी, यदि, समान निर्बन्धनों के लिये जैसे कि इस अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित किये जा रहे हैं, के लिये,

क्षतिपूर्ति राशि, दावाकर्ता अथवा उसके हित के पूर्वज को किसी अन्य विधि के अंतर्गत सारभूत रूप से समान निर्बन्धनों को अधिरोपित करते समय, उक्त भूमि के संबंध में भुगतान किया जा चुका है।

22. क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण (Determination of the amount of compensation).—(1) उक्तानुसार नियत तिथि को अथवा कोई अन्य आगामी तिथि को जबकि जांच नियत की गयी है, कलक्टर दावेदार अथवा दावेदारों को, व्यक्तिगत रूप से अथवा कोई व्यक्ति जो उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया है, अथवा एक अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई, का अवसर प्रदान करेगा तथा सभी दावों की सुनवाई पश्चात् एवं उन आगामी जांच के उपरांत यदि कोई हो तो, जैसा कि वह उचित समझता हो, क्षति के संबंध में क्षति पूर्ति राशि का निर्धारण करेगा तथा ऐसा निर्धारण जो कलक्टर द्वारा निर्धारित पद्धति से किया गया हो, अंतिम होगा:

परन्तु यह कि, राज्य शासन अथवा ऐसा अन्य अधिकारी जैसा कि राज्य शासन इस हेतु अधिकृत करे, की पूर्व अनुमोदन के बिना, इस उप-धारा के अंतर्गत उक्त क्षतिपूर्ति राशि का कलक्टर द्वारा निर्धारण नहीं किया जावेगा :

परन्तु आगामी यह भी कि कलक्टर उक्त अनुमोदन के बिना भी क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण का एक आदेश उन वर्गों अथवा प्रकरणों में कर सकता है जैसा कि राज्य शासन इस हेतु विशिष्टीकृत कर सकती है।

(2) कलक्टर, आवेदन की तिथि से छह माह के भीतर उपधारा (1) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करेगा। क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करते समय, भू-अर्जन अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों को भी विचार में लिया जावेगा।

23. अधिकार जब एवं हित समाप्त हो जावेगा (Rights and interests when to be extinguished).—(1) जब कभी धारा 22 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारण का एक आदेश कलक्टर द्वारा किया जाता है कलक्टर उनके द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि को, उसके लिये स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को, उक्त निर्धारण के अनुसार भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा जब तक कि धारा 24 की उप-धारा (2) में वर्णित आपात/कन्टिजेन्सी के द्वारा बाधित न हो।

(2) यदि क्षतिपूर्ति राशि के लिए स्वत्वाधीन वह व्यक्ति उसे प्राप्त करने में सहमति नहीं देगा अथवा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के स्वत्व के संबंध में यदि वहां कोई विवाद हो अथवा उसके बंटवारे के संबंध में कोई विवाद हो, कलक्टर क्षतिपूर्ति की राशि को उस न्यायालय में जमा कर देगा जिसमें कि धारा 24 के अंतर्गत निर्देश प्रस्तुत होता :

परंतु यह कि कोई व्यक्ति हितबद्ध होना स्वीकृत हो, उक्त भुगतान को, उस राशि की पर्याप्तता के संबंध में विरोध के साथ उक्त राशि को प्राप्त कर सकता है :

परंतु आगामी यह कि कोई भी व्यक्ति, जिसने विरोध के साथ के अन्यथा राशि प्राप्त कर ली हो, धारा 24 के अंतर्गत किसी प्रकार का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकारी नहीं होगा :

परंतु यह भी कि, दर्शित में से कोई भी, किसी व्यक्ति के इस दायित्व को दुष्प्रभावित नहीं करेगा कि जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्राप्त कर सकता है, उसे वैधानिक रूप से स्वत्वाधीन व्यक्ति को भुगतान करेगा।

24. न्यायालय को निर्देश (Reference to court).—(1) कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसने क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णित करने वाले आदेश को स्वीकार नहीं किया है, आदेश के दिनांक से पैंतालीस दिन के भीतर कलक्टर को लिखित आवेदन के द्वारा इच्छा व्यक्त कर सकता है कि न्यायालय के निर्णयन हेतु उक्त विषयवस्तु कलक्टर द्वारा निर्देशित कर दी जावे, चाहे उसकी आपत्ति, नाप, क्षतिपूर्ति राशि, व्यक्ति जिसे वह भुगतान योग्य है, क्षतिपूर्ति राशि के हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य बंटवारे के बाबत् हो।

(2) आवेदन को वे आधार अभिकथित करने चाहिये जिन पर कि क्षति पूर्ति राशि के निर्धारण के संबंध में आपत्ति की गई है।

25. कलक्टर का न्यायालय को कथन (Collector's statements to court).—कलक्टर, निर्देश बनाते समय, न्यायालय की जानकारी के लिये स्वयं हस्तलिखित करेगा :—

(क) दावे की स्थिति एवं विस्तार, किसी भवन ढांचे आदि के विवरणों सहित;

(ख) व्यक्तियों के नाम, जिन्हें वह विश्वास करने का कारण रखता है कि दावे में हित रखते हैं;

(ग) धारा 22 के अन्तर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि;

(घ) धारा 23 के अंतर्गत भुगतान कर दी गई अथवा जमा कर दी गई राशि; तथा

(ङ) यदि आबंटित क्षतिपूर्ति की राशि बाबत हो तो, वे आधार जिन पर क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया गया है।

26. सूचना की तामिली (Service of notice).—निर्देश के प्राप्त होने पर, न्यायालय निम्नलिखित व्यक्तियों पर सूचना, उक्त तिथि का विवरण देते हुए जिस

दिन न्यायालय आपत्ति का निराकरण करेगी तथा नियत तिथि पर उनकी उपस्थिति को निर्देशित करते हुए, तामील करेगी :—

(क) उक्त आवेदक;

(ख) सभी व्यक्ति जो आपत्ति में हित रखते हों, केवल उन्हें (यदि कोई हो तो) छोड़कर, जिन्होंने निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि पर बिना आपत्ति के भुगतान प्राप्त करना स्वीकार कर लिया है; तथा

(ग) राज्य को कलक्टर के माध्यम से, यदि आपत्ति क्षतिपूर्ति राशि के बाबत् हो।

27. प्रविषय पर निर्बन्धन (Restriction of scope).—जांच की सीमा, जब तक कार्यवाही निर्बन्धित रहेगी वह आपत्ति से दुष्प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के हितों पर विचार तक ही होगी।

28. अधिनिर्णय का प्ररूप (Form of award).—न्यायालय द्वारा इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक क्षतिपूर्ति का अधिनिर्णय, लिखित में न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा अधिनिर्णित राशि को दर्शित करेगा तथा ऐसा प्रत्येक अधिनिर्णय आज्ञप्ति और ऐसे प्रत्येक अधिनिर्णय के आधारों का अधिकथन निर्णय, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की क्रमशः धारा 2 की कंडिका (2) तथा धारा 2 की कंडिका (9) के अधीन के अर्थों में माना जावेगा।

29. व्यय (Costs).—न्यायालय प्रत्येक निर्देश का निराकरण करते समय, स्वयं के समक्ष कार्यवाहियों में भरण की गई खर्च की राशि तथा किन व्यक्तियों के द्वारा तथा किस अनुपात में उनका भुगतान किया जाना है, को भी अभिकथित करेगी :

परन्तु यह कि जब कलक्टर का अधिनिर्णय स्वीकृत नहीं किया गया है, खर्च का भुगतान साधारणतः कलक्टर द्वारा भुगतान किया जावेगा, जब तक कि न्यायालय इस अभिमत की न हो कि आवेदक का दावा इतना अधिक खर्चीला था अथवा वह कलक्टर के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करने में असावधान था कि उसके खर्च की राशि में से कुछ कटौती किया जाना चाहिये अथवा वह कलक्टर के खर्च के एक भाग का भुगतान करेगा।

30. बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि पर ब्याज (Interest on excess compensations).—यदि वह राशि, जो कि न्यायालय के अभिमत में कलक्टर को अधिनिर्णित करना था, उस राशि से अधिक है जो कि कलक्टर ने अधिनिर्णित किया है, न्यायालय का अधिनिर्णय निर्देशित कर सकता है कि कलक्टर उस अधिक राशि पर, सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज, धारा 23 के प्रावधानों के अंतर्गत जिस तिथि को उक्त भूमि पर अधिकार अथवा हित जिस दिन समाप्त किये

गये थे उस तिथि से न्यायालय में अधिक राशि की भुगतान तिथि तक का भुगतान करेगा।

अध्याय पांच
(CHAPTER V)
राजमार्ग पर अनधिकृत अधिभोग तथा अतिक्रमण की रोकथाम व अतिक्रमण का हटाया जाना
(Prevention of Unauthorised Occupation and Encroachment on a Highway and Removal of Encroachment)

31. भूमि जो राजमार्ग का भाग है, शासकीय संपत्ति होना मानी जावेगी (Land forming part of highway deemed to be Government property).—सभी भूमियां जो राजमार्ग का भाग हैं, जो कि पूर्व से ही राज्य शासन में निहित नहीं हैं किन्तु धारा 23 के प्रावधानों के अन्तर्गत उसमें निश्चित अधिकारों तथा हितों को समाप्त किया जा चुका है, इस अध्याय के उद्देश्य के लिये, राज्य शासन की सम्पत्ति होना मानी जावेंगी।

32. राजमार्ग के अनाधिकृत अधिभोग की रोकथाम (Prevention of unauthorised occupation of highway).—(1) राजमार्ग सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति राजमार्ग पर अधिभोग अथवा अतिक्रमण नहीं करेगा।

(2) किसी व्यक्ति को राजमार्ग के किसी भाग पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

33. अतिक्रमणों को हटाया जाना (Removal of encroachment).—(1) जब राजमार्गों की सीमाओं की जांच के परिणाम स्वरूप अथवा अन्यथा, यह पाया जाता है कि एक राजमार्ग पर एक अतिक्रमण स्थान ले चुका है, राजमार्ग प्राधिकारी अथवा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अथवा उसके प्रतिनिधि को उसे अतिक्रमण हटाने तथा भूमि को मूल स्थिति में जैसा कि वह उक्त अतिक्रमण हटाने के पूर्व थी, उक्त सूचना में दर्शित निर्धारित अवधि के भीतर वापस लाने की अपेक्षा की की जाती हुई सूचना तामील करेगा।

(2) सूचना, उक्त अतिक्रमण की गई भूमि को तथा वह समयावधि जिसके भीतर उक्त अतिक्रमण को हटाया जाना है, दर्शायेगी तथा यह भी अभिकथित करेगा कि उक्त में दर्शित समयावधि के भीतर पालन न होने पर, वह व्यक्ति को अभियोजन का उत्तरदायी बना देगी तथा साथ ही संक्षिप्त निष्कासन का भी।

(3) यदि सूचना में दर्शित समयावधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया है तथा पालन न किये जाने का पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है, राजमार्ग

प्राधिकारी अथवा उपधारा (1) के संदर्भित अधिकृत अधिकारी, लिखित में कलक्टर को अतिक्रमण हटाने निवेदन कर सकेगा तथा उस पर कलक्टर संक्षिप्त निष्कासन हेतु कार्यवाही करेगा जैसा कि मानी विषयवस्तु धारा 60 की परिधि में आती हो।

(4) जहां कि अतिक्रमण उस प्रकृति का हो कि उसको तत्काल हटाया जाना यातायात की सुरक्षा के अथवा किसी ढांचे, जो कि राजमार्ग का भाग हो, की सुरक्षा के हित में आवश्यक समझा जाता है तथा तत्काल, अतिक्रमण हेतु उत्तरवादी व्यक्ति अथवा उसके प्रतिनिधि को, उपधारा (1) के अधीन सूचना उसकी अनुपस्थिति अथवा अन्य कोई कारण से, तामील न की जा सकती है राजमार्ग प्राधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी उपधारा (3) के अधीन अभियोजन के अतिरिक्त या तो :—

(एक) ऐसे सुरक्षात्मक कार्य करवायेगा जो कि युक्तियुक्त खर्च पर किये जा सकते हों ताकि राजमार्ग पर यातायात को खतरा कम से कम किया जा सके, अथवा

(दो) यदि आवश्यक हो तो, पुलिस की सहायता से अतिक्रमण को हटवा देगा।

34. तामील की गई सूचना के विरुद्ध अपील (Appeal against notice served).—जहां कि वह व्यक्ति जिसे धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत एक अतिक्रमण हटाने की सूचना तामील की जा चुकी है दावा रखता है, कि वह भूमि जिसके बाबत् अतिक्रमण का आरोप है वह उसकी संपत्ति है, वह उस समयावधि के भीतर जो कि सूचना में अतिक्रमण हटाने हेतु प्रदत्त है, राजमार्ग प्राधिकारी को जानकारी के साथ कलक्टर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत करेगा। कलक्टर वांछित जांच उपरांत, अपने लिखित में निर्णय को अभिलेख करेगा तथा उसे अपीलार्थी एवं राजमार्ग प्राधिकारी को सूचित करेगा। राजमार्ग प्राधिकारी जब तक उस विषय में अग्रिम कार्यवाही करने से रुका रहेगा।

35. अतिक्रमण को हटाने के खर्चों की वसूली (Recovery of cost of removal of encroachment).—(1) जब कभी राजमार्ग प्राधिकारी अथवा धारा 33 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, किसी अतिक्रमण को हटा चुका है, अथवा किसी अतिक्रमण के संबंध में सुरक्षात्मक कार्य करवा चुका है। उसमें हुआ खर्च, उस व्यक्ति से जो कि अतिक्रमण हेतु उत्तरदायी हो, आगे दर्शाये गये पद्धति से वसूली की जावेगी।

(2) खर्च जो कि वहन किया गया है का विवरण, राजमार्ग प्राधिकारी अथवा उप-धारा (1) के अधीन अधिकृत अधिकारी अतिक्रमण के लिये उत्तरदायी

व्यक्ति अथवा उसके प्रतिनिधि को इस निर्देश के साथ तामील करेगा कि उक्त राशि का भुगतान दर्शित समयावधि के भीतर उसमें दर्शित प्राधिकारी को भुगतान करेगा।

(3) उक्त विवरण, राजमार्ग प्राधिकारी अथवा उप-धारा (1) में संदर्भित अधिकृत अधिकारी के इस प्रभाव के प्रमाण पत्र को भी संलग्न करेगा कि विवरण में वहन किये गये खर्च दर्शित हैं तथा उक्त प्रमाण पत्र इस तथ्य का अंतिम प्रमाण होगा कि वे खर्च वास्तव में वहन किये गये हैं।

(4) वे पदार्थ, यदि कोई हों तो, जो अतिक्रमण हटाने के परिणाम स्वरूप प्राप्त किये गये हैं, नियत अवधि के भीतर भुगतान कर अथवा यदि उक्त भुगतान नहीं किया गया है, वे पदार्थ नीलाम किये जा सकेंगे तथा प्राप्त राशि में से उक्त राशि घटाने के पश्चात् शेष राशि, यदि कोई हो तो, उक्त व्यक्ति को दे दी जावेगी।

(5) यदि नीलामी से प्राप्त प्रतिफल राशि, कुल राशि भुगतान हेतु शेष को पूरा नहीं करते हैं, उस आधिक्य की राशि हेतु जो कि पदार्थ के विक्रय प्रतिफल से प्राप्त की गयी है, अथवा यदि कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं है जिसको कि निकाला जा सके तथा नियत अवधि के भीतर, देय राशि का भुगतान, अतिक्रमण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है, समस्त देय राशि की वसूली बकाया भू-राजस्व की भांति की जा सकेगी।

अध्याय छः

(CHAPTER VI)

क्षतिपूर्ति से संबंधित पूरक प्रावधान

(Supplemental Provision relating to Compensation)

36. क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण (Determination of amount of compensation).—धारा 19 के अंतर्गत सूचना जारी किये जाने के पश्चात् तथा धारा 22 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के पूर्व कलक्टर, क्षतिपूर्ति राशि के निराकरण हेतु उक्त राशि को हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य वितरण को शामिल करते हुए किसी भी व्यक्ति जो कि भूमि जिसमें राजमार्ग हेतु अधिकारों एवं हितों को समाप्त किया जा रहा है, में हित रखता हो के साथ एक अनुबंध निष्पादित कर सकता है तथा जब एक ऐसा अनुबंध अंतिम हो चुका है कलक्टर राजमार्ग प्राधिकारी को एक अनुबंध के अंतिम होने के तथ्य की सूचना उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ देगा तथा उसके पश्चात कलक्टर धारा 22 के अधीन क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण की अग्रिम कार्यवाहियों को स्थगित कर देगा तथा उक्त व्यक्ति अथवा हित रखने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त अनुबंध के अनुसार भुगतान करेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी अनुबंध कलक्टर राज्य शासन अथवा उस अधिकारी से जिसे राज्य शासन इस हेतु अधिकृत कर सकती है, के पूर्व अनुमोदन के बिना अंतिम नहीं करेगा।

37. खड़ी फसल या वृक्षों की कटाई के लिए क्षतिपूर्ति (Compensation for cutting of standing crops or trees etc.).—किसी प्रवेश, भूमापन के माप अथवा धारा 6 के अंतर्गत किसी भी चीज के करने के समय, प्रवेश, भूमापन के माप अथवा कोई अन्य चीज करने वाला अधिकारी उक्त प्रवेश भूमापन, मापन अथवा कार्य क्रियान्वयन जिसमें खड़ी फसल अथवा वृक्षों का काटा जाना अथवा भूमि पर अस्थायी ढांचों आदि कोई हों, का हटाया जाना शामिल है, में क्षतिग्रस्तों का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा कलक्टर को धारा 22 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के निर्धारण की स्थिति में विचार किये जाने हेतु अग्रेषित करेगा।

38. अवैध निर्माण बाबत कोई क्षतिपूर्ति नहीं (No compensation for unauthorised erection).—यदि किसी व्यक्ति ने अनाधिकृत रूप से किसी भूमि, जो कि राजमार्ग के उद्देश्य हेतु वांछित है, पर किसी भवन को अवैधानिक रूप से खड़ा किया, पुनःनिर्माण किया, जोड़ा अथवा परिवर्तित किया है, तब उक्त निर्माण, पुनःनिर्माण, जोड़ा जाने अथवा परिवर्तन किये जाने से भूमि की उपयोगिता में होने वाली किसी वृद्धि को धारा 22 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

39. अतिक्रमण हटाये जाने पर कोई क्षतिपूर्ति नहीं (No compensation for removal of encroachment).—किसी अतिक्रमण के हटाये जाने की दशा में कोई भी क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

40. समायोजन द्वारा भुगतान (Payment by adjustment).—सभी भुगतान जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में किये जाने हैं, वे जहां तक संभव हो, उस व्यक्ति के खाते में, उत्तमीकरण अधिभारों, यदि हों तो, जो उस व्यक्ति द्वारा अध्याय सात के अंतर्गत देय हों, के समायोजन द्वारा किये जावेंगे।

अध्याय सात

(CHAPTER VII)

उत्तमीकरण अधिभारों का भुगतान

(Payment of Betterment Charges)

41. स्वामियों तथा हितबद्ध व्यक्तिओं को सूचना (Notice to owners and persons interested).—जहां कोई कार्य, जो इस अधिनियम के प्रावधानों

के अंतर्गत एक राजमार्ग प्राधिकारी, एक राजमार्ग पर, करने के लिये अधिकृत है प्रारम्भ किया जाता है, राज्य शासन द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी एक कार्य से लाभान्वित होने वाले भूमि के ज्ञात अथवा विश्वास किये गये स्वामियों अथवा हित रखने वाले व्यक्तियों को दर्शित समय एवं स्थान में (उक्त समय सूचना की तिथि से तीस दिनों के पूर्व न होगा), व्यक्तिगत रूप से अथवा अभिकर्ता के द्वारा उसके समक्ष उपस्थित होने तथा उक्त भूमियों पर उत्तमीकरण अधिभारों के लगाये जाने तथा वसूली के विरुद्ध उनके आपत्तियों, यदि कोई हो, को अभिकथित करने, सूचना देगा :

परन्तु यह कि, उक्त कोई भी सूचना तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि राजमार्ग प्राधिकारी राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन के साथ यह घोषित कर चुका है कि उक्त कार्य के निर्माण से उक्त भूमि का मूल्य बढ़ सकता है अथवा बढ़ा है।

42. जांच एवं आदेश (Inquiry and order).— धारा 41 के अंतर्गत नियत तिथि को अथवा उस अन्य तिथि को जबकि जांच आगामी नियत की गयी है, धारा 41 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी, औपचारिक जांच संपादित करने के तथा आपत्तियाँ, यदि कोई हों, जो धारा 41 के अंतर्गत सूचना में वांछित अनुसार उन व्यक्तियों द्वारा किये गये हों पर सुनवाई के पश्चात् एक आदेश करेगा। उक्त आदेश दर्शायेगा :—

(क) उक्त भूमि जो कार्यों के निर्माण से लाभान्वित हुई है;

(ख) उक्त भूमियों के मूल्य में वृद्धि जो प्रस्तावित निर्माण से हुई है; तथा

(ग) उत्तमीकरण अधिभार जो कि उक्त भूमियों में से प्रत्येक से वसूल किये जाने योग्य है ;

परन्तु यह कि उत्तमीकरण प्रभार, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 वर्ष 1959) की धारा 172 के द्वारा पारित भू-परिवर्तन के आदेश की तिथि से वसूल की जावेगी :

परन्तु आगे यह भी कि, किसी भूमि के संबंध में कोई उत्तमीकरण प्रभार वसूल योग्य न होगा :—

(एक) जो कि भवन साइट/क्षेत्र के रूप में विकास के लिये उपयुक्त नहीं है; अथवा

(दो) जो कि राजमार्ग के मध्य से किसी भी ओर दो सौ मीटर की दूरी के बाद स्थित है।

43. मूल्य में वृद्धि एवं उत्तमीकरण अधिभार (Increase in value and betterment charges).— निर्माण कार्य की वजह से मूल्य में वृद्धि वह राशि

होगी जो कि प्रस्तावित कार्य के पूर्ण होने की तिथि पर उक्त भूमि को मूल्य में वृद्धि करने की संभावना है अथवा उक्त कार्य प्रारंभ होने की तिथि से भूमि के मूल्य में वृद्धि हो चुकी है तथा उत्तमीकरण प्रभार उक्त मूल्य में वृद्धि का आधा होगा।

स्पष्टीकरण (Explanation).—इस धारा के प्रायोजन के लिये, राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी :—

(क) किसी कार्य के प्रारंभ होने की तिथि; तथा

(ख) उक्त कार्य के पूर्ण होने की तिथि।

44. उत्तमीकरण अधिभारों के निर्धारण के आदेश की अंतिमता (Finality of order fixing betterment charges).—उत्तमीकरण प्रभार नियत करने का आदेश जो धारा 42 के अंतर्गत किया गया है, वह अंतिम होगा।

45. व्यथित पक्षकार को उपचार (Remedy to person aggrieved).— कोई व्यक्ति जो उत्तमीकरण प्रभार नियत करने के आदेश से व्यथित है, एक सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में पहुंच सकता है।

46. उत्तमीकरण अधिभार भूमि पर भू-राजस्व के पश्चात् प्रथम अधिभार होगा (Betterment charges be recoverable as arrears of land revenue).— उत्तमीकरण प्रभार, जो किसी भूमि के संबंध में वसूल किये जाने योग्य है, भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किये जा सकेंगे।

अध्याय आठ
(CHAPTER VIII)
राजमार्ग की यातायात की सुरक्षा सुरक्षित करने तथा क्षति से रोकने के पूरक प्रावधान
(Supplemental Provisions to Secure Safety of Traffic and Prevention of Damage to Highways)

47. राजमार्ग के उपयोग कर रहे व्यक्ति के दृष्टि पथ पर अवरोधों की रोक थाम (Prevention of observations of view of person using the highway).—(1) जब कभी राजमार्ग प्राधिकारी इस अभिमत का है कि उक्त राजमार्ग के किसी मोड़ अथवा किनारे का उपयोग करने वाले व्यक्ति के दृष्टिपथ पर अवरोध से उत्पन्न होने वाले खतरे को रोकने के लिये यह आवश्यक है, वे धारा 16 में अन्यथा प्रावधान को सुरक्षित रखते हुए, उक्त राजमार्ग के लम्बाई में अथवा मोड़ पर अथवा किनारे पर की भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी को, किसी अस्तित्वाधीन दीवार (जो कि एक स्थायी ढांचे का भाग निर्मित करने वाली दीवार नहीं है), तार घेरा, पौधों की बाड़, वृक्षों, विज्ञापन के खंभों, सूचना-फलक अथवा उस पर अन्य कोई अवरोध को, उक्त समय के भीतर तथा उस पद्धति से जैसा कि

उक्त सूचना में दर्शाया जा सकता है, उसकी ऊंचाई अथवा प्रकृति को परिवर्तित करने हेतु सूचना प्रेषित करेगा।

(2) युक्तियुक्त खर्च जो स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा जो सूचना में वांछित के पालन में वहन किये गये हैं उसे वापस भुगतान कर दिये जावेंगे परन्तु उक्त वस्तु अथवा अवरोध किसी तत्समय प्रभावशील विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में निर्मित अथवा खड़े न किये गये हों, वापस भुगतान योग्य राशि का निर्णय राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा तथा इस संबंध में उक्त निर्णय अंतिम होगा।

(3) सूचना में वांछित के पालन में हुए किसी वस्तु अवरोध, जो कि तत्समय किसी प्रभावशील विधि अथवा उप-विधि में उल्लंघन में निर्मित अथवा खड़ा किया गया हो, को हटाने में वहन किये गये खर्च का वापसी भुगतान नहीं किया जावेगा। संबंधित विधि में जिस तरह से प्रावधान हों तदनुसार संबंधित व्यक्ति जिसने उक्त वस्तु अथवा अवरोध को किसी विधि अथवा उप-विधि के उल्लंघन में निर्मित किया है अथवा खड़ा किया है, के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति जिसे उप-धारा (1) के अंतर्गत सूचना प्रेषित की गई है, उक्त सूचना में किसी वांछित का पालन करने में आपत्ति करता है, वह प्राप्ति के एक माह के भीतर, राजमार्ग प्राधिकारी को अपनी आपत्ति लिखित में उसके आधारों को भी दर्शाते हुए, भेजेगा।

(5) राजमार्ग प्राधिकारी आपत्ति प्राप्त होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत किये गये आधारों पर विचार करेगा तथा लिखित में आदेश द्वारा सूचना वापस ले लेगा अथवा संशोधित करेगा अथवा उसकी पुष्टि करेगा।

(6) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (5) के अंतर्गत राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा पारित एक आदेश से व्यथित है वह, उसे उक्त आदेश की सूचना की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर कलक्टर को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जिसका निर्णय इस विषय पर अंतिम होगा।

(7) (क) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रेषित सूचना जैसी की उप-धारा (5) के अंतर्गत संशोधित अथवा पुष्टिकृत हो, जैसी भी परिस्थिति हो, का पालन करने में चूक करता है राजमार्ग प्राधिकारी दृष्टिपथ का अवरोध उत्पन्न करने वाली वस्तु को परिवर्तित बाबत कार्यवाही कर सकते हैं।

(ख) कोई भी खर्च जो राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा उस वस्तु को परिवर्तित करने में हुआ है जो कि दृष्टिपथ पर अवरोध उत्पन्न कर रही थी, संबंधित व्यक्ति से यदि वह वस्तु इस बाबत प्रभावशील किसी विधि के उल्लंघन में निर्मित अथवा खड़ी की गयी थी, अन्य किसी तत्समय प्रभावशील किसी विधि के अंतर्गत कार्यवाही का जो प्रावधान है उसके पूर्वाग्रह के बिना, वसूल की जा सकेगी।

48. राजमार्ग असुरक्षित घोषित कर दिये जाने पर राजमार्ग अधिकारी द्वारा यातायात का नियमन करना (Highway Authority to regulate traffic when highway declared unsafe).—यदि किसी समय राजमार्ग प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उसके प्रभार का कोई राजमार्ग अथवा उसका कोई भाग क्षतिग्रस्त होने से अथवा अन्यथा वाहन अथवा पद यात्रियों के यातायात हेतु असुरक्षित है अथवा कर दिया गया है, वह उन नियमों के अधीन रहते हुए जो कि इस हेतु बनाये गये हैं, या तो राजमार्ग अथवा उसके भाग को समस्त यातायात बाबत बंद कर देगा अथवा उक्त राजमार्ग का उपयोग करने वाले वाहनों की संख्या तथा गति अथवा वजन को नियंत्रित करेगा।

49. कतिपय राजमार्ग पर भारी वाहनों के उपयोग पर रोक (Prohibition of use of heavy vehicles on certain highways).—जहां राजमार्ग प्राधिकारी संतुष्ट है कि कोई राजमार्ग अथवा उसका भाग अथवा कोई पुल, नाला अथवा नाली जो कि राजमार्ग पर अथवा उसकी चौड़ाई में बनाये गये हैं, उन वाहनों को चलाने के लिये प्ररूप नहीं किये गये हैं जिनका माल सहित वजन, उस सीमा से अधिक हो जो कि इस हेतु नियत किये जा सकते हैं, वे उन नियमों के अधीन रहते हुए जो कि इस हेतु नियत किये जा सकते हैं, उक्त राजमार्ग अथवा उक्त राजमार्ग के भाग अथवा उक्त पुल, नाला तथा नाली पर से उन वाहनों का चलाया जाना वर्जित अथवा अवरोधित कर सकते हैं।

50. राजमार्ग अधिकारी द्वारा किसी राजमार्ग को सदैव के लिये बंद करने की इच्छा किये जाने पर पालन की जाने वाली प्रक्रिया (Procedure to be followed when Highway Authority desires to close any highway permanently).—(1) जहां, धारा 48 में उनको प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में राजमार्ग प्राधिकारी, किसी राजमार्ग अथवा उसके भाग को स्थायी रूप से बंद करना चाहते हैं, वे राजपत्र में अपने ऐसा करने के आशय की सूचना अधिसूचित कर सकेंगे। उक्त अधिसूचना कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जावेगी जिनमें से एक हिन्दी भाषा में होगा।

(2) उक्त सूचना,वैकल्पिक मार्ग, यदि कोई हो जो कि प्रदान करने हेतु प्रस्तावित की गई है अथवा जो पूर्व से अस्तित्व में है, को भी इंगित करेगी तथा आपत्तियां यदि कोई हैं उक्त समयावधि के भीतर जैसा कि दर्शित हो, उक्त प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव पर आमंत्रित करेगी।

(3) राजमार्ग, प्राधिकारी आपत्तियों को, यदि कोई निर्धारित समयावधि में प्राप्त हुई हों, पर विचार करने के पश्चात किसी राजमार्ग अथवा उसके भाग को बंद करने के अपने प्रस्ताव को अंतिम करेगा तथा राज्य शासन को अनुमोदनार्थ,

अंतिम प्रस्ताव उन आपत्तियों के साथ, प्रस्तुत करेगा जो कि उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध प्राप्त हुई हों।

(4) राज्य शासन या तो अधिसूचना के साथ अथवा उसके बिना उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकती है अथवा निरस्त कर सकती है।

(5) यदि राज्य शासन प्रस्ताव का अनुमोदन करती है तो वह अपने आदेशों को अधिकृत राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

(6) जब राज्य शासन के आदेशों को अधिकृत राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है, राजमार्ग प्राधिकारी उन आदेशों के आगामी प्रचार, कम से कम दो समाचार पत्रों में जिनमें से एक उस स्थान के क्षेत्रीय भाषा का होगा जिसमें कि राजमार्ग स्थित है, हेतु व्यवस्था करेगा तथा राजमार्ग अथवा उसका भाग तब बंद कर दिया जावेगा।

(7) जब कभी कोई राजमार्ग अथवा उसका कोई भाग उक्तानुसार बंद कर दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति को युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जावेगा। जो कि मात्र आम जनता के सदस्य से अतिरिक्त, उक्त राजमार्ग अथवा उसके भाग का उपयोग अपनी संपत्ति को अथवा से पहुंच मार्ग के रूप में करने का अधिकारी था तथा उक्तानुसार बंद होने पर क्षति वहन किया है।

51. राजमार्ग पर निश्चित कार्यों के करने के लिये राजमार्ग अधिकारी की सहमति वांछित (Consent of Highway Authority required to do certain acts on highway).— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट बात के होते हुए भी, राजमार्ग प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति, केवल उक्त राजमार्ग प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना, किसी राजमार्ग की लम्बाई, चौड़ाई,नीचे अथवा ऊपर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेगा अथवा कोई भूमिगत नाली (केबल), तार, पाइप, नाली, किसी प्रकार का जल स्त्रोत (चेनल) नहीं ले जावेगा।

(2) अपनी अनुमति देने में, राजमार्ग प्राधिकारी ऐसी शर्तों को अधिरोपित कर सकते हैं जो कि वे आवश्यक समझते हैं, और वे किराया अथवा अन्य प्रभार भी, राजमार्ग का हिस्सा होने वाली भूमि पर जो प्रस्तावित कार्य हेतु कब्जा अथवा उपयोग की गयी है, अधिरोपित कर सकता है।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उल्लंघन में निर्माण करता है अथवा कोई कार्य करवाता है, राजमार्ग प्राधिकारी उक्त कार्य को हटाये जाने तथा राजमार्ग की उसकी पूर्व की दशा में, धारा 33 के प्रावधानों के अनुसार वापस लाने, व्यवस्था करेगा, जैसा कि मानो उक्त कार्य राजमार्ग पर एक अतिक्रमण कारित किया है तथा वे खर्चे जो हैं राजमार्ग प्राधिकारी इस उद्देश्य हेतु वहन कर सकता है। किसी

अन्य कार्यवाही, जो कि उस व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकती है, को पूर्वाग्रहित न करते हुए, उससे धारा 35 में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार जहां तक कि वह प्रक्रिया लागू होती हो, वसूल कर सकता है।

52. राजमार्ग के क्षति की सुधार एवं रोकथाम (Prevention and rectification of damage of highway).—(1) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी राजमार्ग को क्षति नहीं पहुंचायेगा और न ही अपने प्रभार के किसी वाहन अथवा पशु को ऐसा करने देगा।

(2) जहां, उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी राजमार्ग को क्षति पहुंचाई गई है, राजमार्ग प्राधिकारी क्षति को सुधरवायेगा तथा खर्च जो हुआ है, उपधारा (1) के उल्लंघन के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है उसे पूर्वाग्रहित किये बिना उससे धारा 35 में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार, जितना तक कि वह प्रक्रिया लागू होती हो, वसूल की जा सकती है।

अध्याय नौ
(CHAPTER IX)
शास्तियाँ
(Penalties)

53. आदेशों, अनुदेशों अवहेलना तथा जानकारी देने से इंकार किया जाना (Disobedience of orders, instructions and refusal to give information).—जो कोई भी, किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्देश देने हेतु शक्ति प्रदत्त है के द्वारा विधिवत दिये गये निर्देशों को स-आशय उल्लंघन करता है अथवा किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत किन्हीं कार्यों को सम्पन्न करने के लिये वांछित एवं शक्ति प्रदत्त है के उन कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है अथवा इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अंतर्गत किसी जानकारी को प्रदान करने हेतु है अपेक्षा किया जा रहा है ऐसी जानकारी को नहीं देता है अथवा ऐसी जानकारी देता है जो वह जानता है कि असत्य है अथवा जिसे वह सत्य होने का विश्वास नहीं करता है, सजा होने पर अर्थ दण्ड से जो कि दो हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जा सकेगा।

54. किसी भवन के निर्माण अथवा पहुंच मार्ग से संबंधित पाबंदियों का उल्लंघन (Contravention, restrictions relating to access or erecting any building).—जो कोई भी किसी भवन को खड़ा करता है, परिवर्तित करता है अथवा बढ़ाता है अथवा कोई खुदाई करता है अथवा एक राजमार्ग को अथवा से पहुंच मार्ग अथवा माध्यम का निर्माण करता है अथवा धारा 14 के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई अन्य कार्य करता है, सजा होने पर, दण्डित किया जा सकेगा :—

(क) अर्थदण्ड से जो कि पांच हजार रुपये तक हो सकता है, तथा

(ख) आगामी अर्थदण्ड से जो कि उक्त सजा के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये एक हजार रुपये तक हो सकता है, उस अवधि में जबकि अपराधिक संरचना अथवा कार्य को हटाया, गिराया अथवा साफ किया नहीं गया है तथा उक्त स्थान को उसकी मूल स्थिति में नहीं लाया गया है।

55. राजमार्ग पर अनाधिकृत, आधिपत्य (Unauthorised occupation of highway).—जो कोई भी,

(क) किसी राजमार्ग पर कब्जा करता है अथवा किसी अतिक्रमण को बनाता है जो कि धारा 32 की उपधारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन में है, अथवा

(ख) धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रेषित की गई सूचना का बिना किसी वैध कारण के पालन करने में चूक करता है, सजा होने पर, दण्डित किये जाने योग्य है :—

(एक) प्रथम अपराध के लिये अर्थदण्ड जो कि पांच हजार रुपये तक बढ़ सकता है, तथा

(दो) एक पश्चातवर्ती अपराध के लिये जो कि उसी अतिक्रमण से संबंधित हो, अर्थदण्ड जो कि दस हजार रुपये तक बढ़ सकता है, तथा

(तीन) निरन्तर अतिक्रमण के लिये, कारावास दो माह तक साथ ही एक अतिरिक्त अर्थदण्ड जो पाँच हजार रुपये प्रत्येक दिन से अधिक न होगा जिस पर उक्त राजमार्ग का अधिभोग अथवा अतिक्रमण निरन्तर बना रहता है।

स्पष्टीकरण (Explanation).—"निरन्तर" अतिक्रमण का अर्थ होगा निरन्तर अथवा राजमार्ग के उसी भाग अथवा स्थान का अतिक्रमण किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना जिस बाबत् उसे उप-कंडिका (ब) में पूर्व में सजा दी जा चुकी है।

56. अपराधों के दंड के लिए सामान्य प्रावधान (General provisions for punishment of offences).—जो कोई भी इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा किसी नियम अथवा आदेश जो कि उसके अंतर्गत किये गये हैं, का

उल्लंघन करता है, यदि अन्य कोई शास्ति उक्त अपराध हेतु प्रावधान न की गयी हो तो, सजा होने पर, दण्डित किया जा सकेगा :—

(क) प्रथम अपराध के लिये, अर्थदण्ड से जो कि सौ रुपये तक बढ़ सकता है, तथा

(ख) एक पश्चात्वर्ती अपराध के लिये, अर्थदण्ड से जो कि पांच सौ रुपये तक बढ़ सकता है।

57. अपराधों को शमन करने की शक्ति (Power to compound offences).—तत्समय प्रभावशील किसी विधि में दर्शित किसी चीज के रहते हुए भी कोई अपराध जो धारा 55 के अंतर्गत दर्शित अपराध से अन्य कोई, इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है, राजमार्ग प्राधिकारी के द्वारा उन शर्तों पर जैसा कि राज्य शासन के द्वारा विशिष्ट अथवा सामान्य आदेश के द्वारा दर्शित किया जावेगा तथा यदि कोई कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी दाण्डिक न्यायालय में स्थापित की जा चुकी है तक राजीनामा की उन शर्तों पर कि संरचना दोषमुक्ति के समतुल्य होगी तथा किसी भी परिस्थिति में कोई आगामी कार्यवाहियां उस व्यक्ति की सम्पत्ति के विरुद्ध उन्हीं तथ्यों के संदर्भ में नहीं की जावेंगी।

अध्याय दस

प्रकीर्ण
(CHAPTER X)
(Miscellaneous)

58. पुलिस की शक्तियां एवं कर्त्तव्य (Powers and duties of Police).—प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये किसी नियम के विरुद्ध कारित कोई अपराध उसके संज्ञान में आते ही, समीपस्थ राजमार्ग प्राधिकारी अथवा समीपस्थ अधिकारी जो उक्त राजमार्ग प्राधिकारी के अधीनस्थ हो को तत्परता से जानकारी उपलब्ध करेगा तथा राजमार्ग प्राधिकारी तथा उसके अधिकारी गणों एवं कर्मचारियों को उनके विधिवत प्राधिकार के प्रयोग में सहायता करने बाध्य रहेगा।

59. ग्राम अधिकारियों के कर्तव्य (Duties of village officials).—पुलिस ग्राम कोटवार चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो समीपस्थ पुलिस थाने अथवा समीपस्थ राजमार्ग प्राधिकारी अथवा राजमार्ग प्राधिकारी के द्वारा नियमानुसार अधिकृत किसी अधिकारी को जब कभी भी वह ज्ञात होता है कि किसी राजमार्ग का कोई भू-मापन चिह्न अथवा कोई चिह्न जो किसी राजमार्ग के संबंध में भवन अथवा नियंत्रण रेखा जो नियत की गई है वह दर्शाता हो वह नष्ट कर दी गयी है क्षतिग्रस्त की गयी है, हटा दी गयी है, प्रतिस्थापित की गयी है

(ट) अस्तित्वाधीन पहुंच मार्गों के अधिकारों से परिवर्तनों का नियंत्रण,

(ठ) वह पद्धति जिसके अनुसार सूचना अथवा अभिकथन प्रेषित अथवा प्रस्तुत किये जा सकते हैं, तथा

(ड) अन्य विषय जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत वांछित किये गये हैं अथवा दर्शित किये जा सकते हैं।

(3) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये सभी नियमों को विधान सभा के पटल पर रखा जावेगा।

65. इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों का अन्य विधियों के असंगत उपबंधों में अधिभावी होना (Provisions of this Act or Rules to prevail over inconsistent provisions in other laws).—कान्टोन्मेन्ट्स, रेलवे के, टेलिग्राफ तथा इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में किसी केन्द्रीय अधिनियम में प्रदत्त को छोड़कर किसी विषय वस्तु के संबंध में इस अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने नियम अन्य विधि जो राज्य विधायन द्वारा बनाये गये हैं, जहाँ तक कि उक्त विधि उक्त प्रावधानों अथवा नियमों से ऊपर, स्वीकार योग्य रहेंगे, जहां तक कि उक्त प्रावधानों अथवा नियमों तथा उस विधि से उक्त असमानता की सीमा तक, उक्त विषय वस्तु पर प्रभावशील न होंगे अथवा प्रभावशील नहीं किये जावेंगे :

परन्तु यह कि, यदि किसी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (केन्द्रीय अधिनियम, XLVIII 1956) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है, यह राज्य शासन के लिये विधिवत होगा कि धारा 12 के अंतर्गत वह भवन तथा नियंत्रण रेखाओं को उक्त राजमार्ग के विभिन्न हिस्सों बाबत् नियत करे अथवा धारा 42 के अंतर्गत भूमियों पर उत्तमीकरण प्रभारों को वसूल करे, जिनके मूल्य में राजमार्ग के निर्माण अथवा प्रस्तावित निर्माण के कारण वृद्धि हुई है तथा तत्पश्चात् इस अधिनियम के वे प्रावधान जो कि जहां तक कि वे राजमार्ग सीमा तथा भवन रेखा के बीच, भवनों पर निर्बन्धनों पर लागू होते हैं तथा उन भवन तथा नियंत्रण रेखाओं से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसी कि स्थिति हो, तथा इस अधिनियम के प्रावधान जो उत्तमीकरण प्रभार की वसूली से संबंधित हों, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

66. निरसन (Repeal).—मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 1936 (34 वर्ष 1936) एतद्द्वारा निरसित/ रिपील किया जाता है।